



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072023-247233
CG-DL-E-11072023-247233

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399]
No. 399]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 11, 2023/आषाढ़ 20, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 11, 2023/ASHADHA 20, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2023

सं. 51/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का. नि. 498(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 54 की उप-धारा (1) और धारा 143 क क के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, ट्रांशिपमेंट ऑफ कार्गो टू नेपाल अंडर एलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम रेग्युलेशनस, 2019 में, और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

1. इन विनियमों को ट्रांशिपमेंट ऑफ कार्गो टू नेपाल अंडर एलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम (अमेंडमेंट) रेग्युलेशनस, 2023 कहा जाएगा |

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे |

2. ट्रांशिपमेंट ऑफ कार्गो टू नेपाल अंडर एलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम रेग्युलेशनस, 2019 में, विनियमन 3 के लिए, निम्नलिखित विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3. प्रयोज्यता. - ये विनियम भारत के कोलकाता, हल्दिया और विशाखापट्टनम पत्तनो से भेजे जाने वाले कार्गो पर लागू होगा-

(क) नेपाल के वीरगंज तक रेल द्वारा;

(ख) भारत में बतनाहा तक रेल के द्वारा और बतनाहा से नेपाल के विराट नगर तक सड़क मार्ग से; और

(ग) नेपाल के विराट नगर तक रेल द्वारा।”

[फा. सं. 554/2/2014-एस.ओ (एलसी)]

हरीश कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना सं. 68/2019-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 सितंबर, 2019 को संख्या सा. का. नि. 704 (अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019, के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इस में अंतिम बार अधिसूचना संख्या 64/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.) जिसे सा. का. नि. 484 (अ) दिनांक 31 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2023

No. 51/2023-Customs (N.T.)

G.S.R. 498(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with sub-section (1) of section 54 and section 143AA of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Transshipment of Cargo to Nepal under Electronic Cargo Tracking System Regulations, 2019, namely: -

1. These regulations may be called the Transshipment of Cargo to Nepal under Electronic Cargo Tracking System (Amendment) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the day of their publication in the Official Gazette.

2. In the Transshipment of Cargo to Nepal under Electronic Cargo Tracking System Regulations, 2019, for regulation 3, the following regulation shall be substituted, namely: -

“3. Application. - These regulations shall apply to the transshipment of cargo from the ports of Kolkata, Haldia and Vishakhapatnam in India to -

(a) Birgunj in Nepal by rail;

(b) Batnaha in India by rail and from Batnaha to Biratnagar in Nepal by road; and

(c) Biratnagar in Nepal by rail.”

[F. No. 554/2/2014-SO(LC)]

HARISH KUMAR, Under Secy.

Note: The principal notification No. 68/2019-Customs (N.T), dated the 30th September, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 704(E), dated the 30th September, 2019 and was last amended vide notification No. 64/2020-Customs (N.T.), dated the 31st July, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 484 (E), dated the 31st July, 2020.